धौलपुर (राज०)

मूल वाद सं. 20/2014

दिनांक 20.09.2025

वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। मुताबिक गतादेशिका वादी के अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2023 की पालना में प्रदर्श डालने बावत् आपत्ति यादनामा न तो स्टाम्पित है और न ही पंजीयन कराया गया है इस संबंध में स्टाम्प की राशि जमा हो चुकी है इसका पंजीयन कराया जाना बाकी है। प्रतिवादी के अधिवक्ता का निवेदन रहा था कि उक्त यादनामा की सहवन से फोटो प्रति पंजीयन हेतु चली गयी थी, जबकि उक्त यादनामा मूल भेजा जाना आवश्यक था, इस संबंध में वादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था। अधिवक्ता वादी द्वारा आज पुनः अवसर चाहा गया है, चूंकि प्रकरण लक्षित प्रकरणों में से एक है अतः अधिवक्ता वादी आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से न्यायिक दृष्टांत पेश करें जिससे उक्त दस्तावेज प्रदर्श कराया जा सके और प्रतिवादी की साक्ष्य की प्रभावी कार्यवाही/आगामी कार्यवाही की जा सके।

पत्रावली वास्ते पेश होने न्यायिक दृष्टांत/साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 03.10.25 को पेश हो।

20/09/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज०)